न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट पुरवा, उन्नाव।
UPUN120000541996

उपस्थित– हिमानी गौतम – (उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा)
फौजदारी वाद सं0–549/1996

राज्य.....अभियोजक,

बनाम

1– श्री इब्राहिम पुत्र अल्लाबक्श (मृतक)
2– श्री मोहम्मद इसमाइल पुत्र इब्राहीम,
3– श्री लल्लू पुत्र इब्राहीम,
समस्त निवासीगण पटेढ़ा, मजरा मवई, थाना मौरांवा जिला उन्नाव।

———————————— अभियुक्तगण।

अ0सं0–81ए/1995
धारा–323,325,452,504,506 भा0दं0सं0
थाना–मौरांवा, जिला उन्नाव।

निर्णय

थाना पुलिस मौरांवा, जिला उन्नाव द्वारा प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर अभियुक्तगण श्री इब्राहिम, मो0 इसमाइल, तथा लल्लू का विचारण मु0अ0सं0–81ए/195 अन्तर्गत धारा 323,325,504,506,452 भा0दं0सं0, थाना मौरांवा जिला उन्नाव के अन्तर्गत किया गया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थी को दिनांक 21.02.1995 को इब्राहिम व इसमाइल व लल्लू ग्राम पटेढ़ा में प्रार्थी की जगह पर नाजायज तरीके से घूरा डालने की कोशिश किया जिस पर प्रार्थी ने मना किया। उसको गालियॉ गन्दी गन्दी देने लगे और जान से मारने की धमकी दी तथा पुनः मना करने पर जान से मारने के लिए कुल्हाड़ी व गड़ासा तथा लाठियॉ लेकर रपटाया। जब प्रार्थी घ ार में घुस गया फिर भी घर में घुसकर खींच लाये तथा मारने लगे। जान से मार देने की पूरी कोशिश किया परन्तु गांव के लोग शोरगुल सुन दौड़े फिर भी कुल्हाड़ी से वार करके दांत तोड़ डाला गांव के निवासियों ने बचा लिया। घटना समय करीब सुबह 01:00 बजे की है।

वादी मुकदमा की लिखित तहरीर के आधार पर थाना मौरांवा, जिला उन्नाव में दिनांक 03.07.1995 को समय 21:05 बजे अभियुक्तगण इब्राहीम, इस्माइल तथा लल्लू के विरूद्ध अ0सं0–81ए/1995 अन्तर्गत धारा 323,325,504,506,452 भा0दं0सं0 में दर्ज की गयी। जिसका इन्द्राज जी0डी0 कायमी में किया गया। मामले की

विवेचना विवेचक द्वारा की गयी। दौरान विवेचना विवेचक के द्वारा विभिन्न गवाहान के बयान अंकित किये गये। बाद विवेचना अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर विवेचक द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध धारा 325,323,504,506,452 भा0दं0सं0 अपराध सं0–81ए/1995 में प्रेषित की गयी। जिस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया।

अभियुक्तगण न्यायालय उपस्थित आये। अभियुक्तगण को अभियोजन प्रपत्रों की नकलें दी गयीं तथा अभियुक्तगण ने अपनी जमानत कराई। दौरान विचारण अभियुक्त इब्राहिम की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरूद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित की गयी।

दिनांक 15.06.1998 को अभियुक्त इब्राहीम, मो0 इस्माइल तथा लल्लू के विरूद्ध अरोप विरचित किया गया है। जिसमें अभियुक्त के द्वारा घटना से इंकार किया तथा अपने विचारण की मॉग की।

अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में लिखित तहरीर, प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोप पत्र, नक्शा नजरी, कायमी जी0डी0, मेडिकल रिपोर्ट दाखिल किया गया है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता को स्वीकार नहीं किया गया, अभियोजन के साक्ष्य का अवसर समाप्त हुआ।

अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात अभियुक्त का कथन अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया। अभियुक्त उपरोक्त द्वारा अभियोजन कथानक के सम्बन्ध में गलत कहते हुए, के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा, अभियोजन प्रपत्रों के सम्बन्ध में भी कुछ नहीं कहा तथा प्रतिरक्षा साक्ष्य देने से इंकार किया तथा अतिरिक्त कथन में कुछ नहीं कहा गया।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक् रूप से परिशीलन किया।

वर्तमान दाण्डिक प्रकरण में न्यायालय को यह देखना है कि क्या अभियोजन पक्ष अपने साक्ष्यों व गवाहों के माध्यम से युक्ति–युक्त रूप से संदेह से परे यह साबित कर पाया है कि अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा को उसके घर के अन्दर अनाधिकृत रूप से प्रवेश करके लाठी डण्डों से मारापीटा एवं गन्दी गन्दी गालियॉ दी एवं उसे जान से मारने की धमकी दी।

प्रस्तुत मामले में वादी मुकदमा सुन्दरलाल की मृत्यु हो जाने के कारण अभियोजन द्वारा उन्हें साक्ष्य हेतु परीक्षित नहीं कराया जा सका है। इसक अतिरिक्त

पत्रावली पर अन्य कोई साक्षी भी परीक्षित नहीं हुआ है। आपराधिक विधि का यह सिद्धान्त है कि अभियोजन पक्ष पर यह दायित्व है कि वह अभियोजन कथानक को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करे। परन्तु पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिससे कि अभियोजन द्वारा अभियुक्त पर लगाया गया आक्षेप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित होता हो।

अतः उपरोक्त विवेचना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय व मौखिक साक्ष्य के परिशीलनोपरान्त न्यायालय के विचार से अभियोजन पक्ष अभियुक्त मोहम्मद इस्माइल तथा लल्लू के विरूद्ध धारा 323,325,504,506,452 भा0दं0सं0 के तहत लगाये गये आरोपों को युक्ति–युक्त रूप से संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अभियुक्तगण मोहम्मद इस्माइल तथा लल्लू के विरूद्ध लगाया गया आरोप साबित नहीं होता है। अतः अभियुक्तगण मोहम्मद इस्माइल तथा लल्लू को संदेह का लाभ देते हुए, आरोपित अपराध के आरोप से दोष–मुक्त किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

फौजदारी वाद सं0–549/1996, मु0अ0सं0–81ए/1995 थाना मौरांवा, जिला उन्नाव के प्रकरण में अभियुक्तगण मोहम्मद इस्माइल तथा लल्लू को अन्तर्गत धारा 323,325,504,506,452 भा0दं0सं0 के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर है, उसके जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं, एवं प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण द्वारा धारा 437ए दं0प्र0सं0 का अनुपालन किया गया है।

दिनांक–03.08.2026

(हिमानी गौतम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पुरवा,उन्नाव।
आई.डी.–UP4850

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षंरित, दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक– 03.08.2026

(हिमानी गौतम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पुरवा,उन्नाव।
आई.डी.–UP4850